


101/2011 विभाघर / हरिनाथ
RTA - 223

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.8.21	<p>पत्रावली पेश वकील अर्पेलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय त्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> शुभवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दुनु)</p>	